(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTEE, EXTRA ORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
Land and Building Department
(Planning Branch)
D-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi- 110002.

Dated: 09/09/2021

NOTIFICATION

No.F. 12(158)/2019/L&B/Plg./ 2447 - In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development Notification No.18011(28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purpose of the said Act, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Development Area No.	Zone	Area in Hect./Acres with Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Area of Zone K-I	Area falling under the list of 5 villages given below excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely:- i) Land/villages notified under green belt; ii) Built-up abadi areas; iii) Notified extended laldora abadi of villages; iv) Land under acquisition proceedings; v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government as on the date of issue of this notification; vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC for planning/development or where the plan stands approved for development by any other government agency as on the date of issue of this notification; vii) Land under notified forests; viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department; ix) Central Government and other Government land (including use undetermined); x) Land under any other scheme of Government for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on date of issue of this notification; and xi) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

List of Villages:

Planning Zone	Sl.No.	Name of Villages under Land Pooling
(1)	(2)	(3)
Zone K-I	1.	Chhawla (Part in Zone L)
	2.	Dichaon Kalan (Part in Zone L)
	3.	Dindarpur (Part in Zone L)
	4.	Najafgarh (Part in Zone L)
	5.	Roshanpura (Part in Zone L)

By Orders and in the Name of the Lt. Governor,
National Capital Territory of Delhi,

09.09.21
(A.K. Yadav)
Deputy Secretary (L&B)
Govt. of N.C.T., Delhi

No.F. 12(158)/2019/L&B/Plg./ 2447

Dated: 09/09/2021

Copy forwarded to :-

1. General Administration Department, GNCTD (in duplicate) for favour of publication in Delhi Gazette.
2. Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Planning & Works & Housing & Urban Development (Department of UD)New Delhi (with 4 spare copies)
3. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
4. Commissioner, South Municipal Corporation of Delhi.
5. Commissioner, North Municipal Corporation of Delhi.
6. Executive Officer (Impl.), DDA, Vikas Minar, New Delhi (with 5 spare copies).
7. Engineer Member, DDA, New Delhi.
8. Chief Town Planner, South Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
9. Chief Town Planner, North Municipal Corporation of Delhi, E-Block, 13th Floor, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
10. Spl. Secretary (L&B), GNCTD, L&B Deptt. , New Delhi-110002.
11. In-charge(Computer Cell), L&B Deptt. , New Delhi-110002 with the request to update the entry on the website.
12. Central Record Room,L&B Department.
13. Legal Advisor, L&B Department.

09.09.21
(A.K. Yadav)
Deputy Secretary (L&B)
Govt. of N.C.T., Delhi

(दिल्ली राजपत्र भाग–IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
(योजना शाखा)
डी–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली– 110002

दिनांक : 09/09/2021

अधिसूचना

सं0 फा0 12(158)/2019/भू0 एवं भ0/योजना/ 2447 – स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 फरवरी 1969 की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67–यूडी के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित क्षेत्र को 'विकास क्षेत्र' घोषित करते हैं :–

अनुसूची

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र संख्या	अंचल	विवरण के साथ हैक्टेयर/एकड़ में क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		अंचल के– I के क्षेत्र	खंड (i) से (xi) में उल्लिखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर, नीचे दिये गये 5 गाँवों की सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, अर्थात :– (i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि/गाँव (ii) निर्मित आबादी क्षेत्र (iii) गाँवों की अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा आबादी (iv) अधिग्रहण की कार्यवाहियों के अंतर्गत भूमि (v) सरकार द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक विनियमन हेतु प्रस्तावित अनाधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि। (vi) ऐसी भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने योजना/विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है अथवा जहां अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक विकास के लिए योजना अनुमोदित की गई है। (vii) अधिसूचित वन–क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि। (viii) ग्राम सभा की भूमि राजस्व विभाग को स्थानांतरित। (ix) केंद्रीय सरकार एवं अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित प्रयोग सहित) (x) सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऐसी भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11ए के अंतर्गत भूमि–उपयोग परिवर्तन प्रक्रियाधीन है; एवं (xi) पूर्ववर्ती संस्थान जो विनियमन हेतु विचाराधीन हैं।

गाँवों की सूची :–

योजना अंचल	क्रम संख्या	लैंड पूलिंग के अंतर्गत गाँवों के नाम
(1)	(2)	(3)
अंचल के– I	1.	छावला (अंचल एल का भाग)
	2.	दिचाऊं कलां (अंचल एल का भाग)
	3.	दिनदारपुर (अंचल एल का भाग)
	4.	नजफगढ़ (अंचल एल का भाग)
	5.	रोशनपुरा (अंचल एल का भाग)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

09.09.21
(ए.के. यादव)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0 फा0 12(158)/2019/भू0 एवं भ0/योजना/2447 दिनांक : 09/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः–

1. सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को (दो प्रतियों में) दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन एवं कार्य तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) नई दिल्ली (4 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. उपाध्यक्ष, डीडीए, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम।
5. आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम।
6. कार्यपालक अधिकारी (क्रियान्वयन), डीडीए, विकास मीनार, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रति के साथ)।
7. अभियंता सदस्य, डीडीए, नई दिल्ली।
8. मुख्य नगर योजनाकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली– 110002.
9. मुख्य नगर योजनाकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ई–ब्लॉक, 13वां तल, सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली– 110002.
10. विशेष सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भूमि एवं भवन विभाग, नई दिल्ली–110002.
11. प्रभारी (कंप्यूटर सेल), भूमि एवं भवन विभाग, नई दिल्ली–110002 को वेबसाइट पर प्रविष्टि अद्यतन करने हेतु अनुरोध के साथ।
12. केंद्रीय अभिलेख कक्ष, भूमि एवं भवन विभाग।
13. कानूनी सलाहकार, भूमि एवं भवन विभाग।

09.09.21
(ए.के. यादव)
उप–सचिव (भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार